कार्यालय प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय
आरा, जिला-जशपुर (छ०ग०)

नियमावली

(छ.ग.सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 अतंर्गत)

1. संस्था का नाम – नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जनभागीदारी समिति होगा।
2. संस्था का कार्यालय –द्वारा–कार्यालय प्राचार्य, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा ,ठूठी अम्बा रोड, आरा जिला - जशपुर छतीसगढ़ 496331
3. संस्था का कार्यक्षेत्र –नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा होगा ।
4. संस्था का उददेश्य –

   1-महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना ।

   2-विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना / बढ़ाना और कंसल्टेंसी आदि से धन एकत्रित करना । इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय के मामले में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना ।

   3-स्वशासी महाविद्यालय के मामले में अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना ।

   4-स्वशासी महाविद्यालय के मामले में शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना करना ।

   5-स्वशासी महाविद्यालय के मामले में परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की पद्धतियों का विकास करना ।

5. छत्तीसगढ़ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 6(3) के अधीन परिभाषाएं :-

   (1) महाविद्यालय से तात्पर्य है नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जिला जशपुर

   (2) समिति से तात्पर्य है नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय आरा जनभागीदारी समिति

   (3) राज्य शासन से तात्पर्य है छतीसगढ़ शासन

   (4) विश्वविद्यालय से तात्पर्य है संत गहीरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर

   (5) आयुक्त से तात्पर्य है आयुक्त, उच्च शिक्षा, छतीसगढ़

   (6) प्राचार्य से तात्पर्य है, प्राचार्य, नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय, आरा

6. समिति की संरचना निम्नानुसार होगी –

   (1) सामान्य परिषद ।

   (2) प्रबंध समिति ।

   (3) वित्त समिति ।

Khiroj
KHIROJ SINGH
ThuthiAMBA
AARA, JASHPUR

SITA RAM
AARA
AAR - JASHPUR

ध्यान कुमार सिंह
साहेबिरा (मेराडीह)

गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

समिति द्वारा समस्त नीति निर्धारण एवं कार्य संचालन के कार्य उपरोक्त सभाओं के माध्यम से किए जाएंगे।

7. सामान्य परिषद – समिति के कार्यकलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जाएगा। यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी। सामान्य परिषद की संरचना निम्नानुसार होगी तथा इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –

क्रमांक	नाम / पता	पद
1	संबंधित जिला पंचायत, जनपद पंचायत या नगर निकाय के सदस्य, विधायक या सांसद में से राज्य शासन द्वारा नियुक्त व्यक्ति	अध्यक्ष
2	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि	उपाध्यक्ष
3	जहां महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का सांसद सदस्य या उसका नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4	जहां महाविद्यालय स्थित है उस क्षेत्र का विधायक या उसका प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रदेश में उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, स्थानीय संस्थाओ, दानदाताओं, कृषकों और पोषक शाला के एक-एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	अभिभावक और उर्व विद्यार्थियों के दो-दो प्रतिनिधि	सदस्य
7	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक जिसके कोई सदस्य अन्य श्रेणियों में ना आए हों।	सदस्य
8	एक महिला अभिभावक, यदि अन्य किसी श्रेणी में न आ आई हों।	सदस्य
9	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मनोनीत सदस्य	सदस्य
10	महाविद्यालय के प्राचार्य	सदस्य सचिव

नोट –(1) क्रमांक 5,6,7,8 के अंतर्गत नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएंगे।

(2) दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जायेगा–

(क) दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारादस हजार रू. से अधिक दान देने वालों में से।

(ख) दस हजार से पचास हजार से आबादी वाले स्थान में पच्चीस हजार रू. से अधिक दान देने मे से।

Khiroj
KHIROJ SINGH
THUTHIAMBA
AARA JASHPUR

SITA RAM
AARA
JASHPUR

नवा कुमार केट
खलेबिरा (मैयाडीह)

गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
नायक नित्यानंद साय शासकीय महाविद्यालय

(ग) पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों मे स्थान में पच्चास हजार रू. से अधिक दान देने मे से।

(घ) एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रो मे से एक लाख से अधिक दान देने वालों मे से ।

8. समिति की सामान्य परिषद निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी –

(1) महाविद्यालय की सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण।

(2) पूर्व में निर्धारित नीतियों के क्रियान्वयन का समय समय पर पुनरीक्षण।

(3) विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों द्वारा देय शुल्क दरों की संरचना एवं अन्य भुगतानों का निर्धारण।

(4) राज्य शासन द्वारा प्रदत्त निधियों के अलावा निजी संसाधनों से अनुपूरक निधियों के अर्जन की विधियाँ खोजना।

(5) समिति के वार्षिक वित्तीय अनुमान पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

(6) समिति के वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं स्थिति विवरण पर विचार करना और उन्हें अंगीकृत करना।

(7) प्रबंध संमिति की अनुशंसा पर छात्रवृत्तियां,अध्येत्तावृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदको,परितोषकों तथा प्रमाण पत्रों को संस्थित करना।

(8) आगामी वर्ष के लिये संस्था के लेखा परीक्षण हेतु अंकेक्षको की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारणझ्

(9) यदि आवश्यक हो तो समिति के विनियमो मे संशोधनो के प्रस्ताव राज्य शासन को भेजना।

(10) महाविद्यालय की किसी चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण स्वीकृति हेतु राज्य शासन को अनुशंसा प्रेषित करना।

9. सामान्य परिषद के कार्य संचालन की प्रक्रिया :–

(क) साधारणतः सामान्य परिषद की बैठक साल में 2 बार होगी। आवश्यकतानुसार परिषद की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी।

(ख) सामान्य परिषद की बैठक की सूचना मे बैठक की तिथि,समय और स्थान स्पष्ट अंकित होगे। बैठक की सूचना प्रत्येक सदस्य को कम से कम 21 दिन पहले प्रेषित हो जानी चाहिये किन्तु किसी विशेष बैठक की स्थिति में अध्यक्ष इस समयावधि को घटा भी सकेगे।

(ग) परिषद की किसी भी सभा के लिये अध्यक्ष सहित पांच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होगी परन्तु किसी भी स्थगित बैठक के लिये कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) परिषद की प्रत्येक बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न होगी और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यह दायित्व निभायेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अपने बीच में से किसी एक का चुनाव केवल उस बैठक के लिये अध्यक्ष के रूप मे करेंगे।

Khiroj
KHIROJ SINGH
THUTHI AMBA
AARA JASHPUR

SITA RAM
AARA
JASHPUR

श्रवण कुमार सिंह
सालेकिरा (मोराडीह)

गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय
आरा, जिला जशपुर

(ङ) अध्यक्ष सहित परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक–एक मत होगा यदि किसी प्रकरण में दोनो पक्षों को बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो उस स्थिति में अध्यक्ष का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(च) प्रत्येक बैठक के कार्य विवरण की प्रतिलिपि यथाशीघ्र आयुक्त उच्च शिक्षा की ओर अग्रेषित की जायेगी।

10. <u>सदस्यों की पंजी</u> :–

(क) समिति की सामान्य परिषद द्वारा महाविद्यालय में अपने सदस्यों की एक पंजी रखी जायेगी और समिति के अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा। पंजी में प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय एवं पता अंकित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को पंजी में पूर्वोक्त प्रकार से हस्ताक्षर किये बिना अपनी सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के उपयोग हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।

(ख) सामान्य परिषद के किसी सदस्य के पते में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसे समिति के सचिव को सूचित करना होगा।यदि वह अपना नया पता सूचित नही कर पाता है तो उसका पूर्व पता ही उस पंजी में मान्य होगा।

(ग) सामान्य परिषद के मनोनित सदस्यो का कार्यकाल दो वर्ष होगा तथा प्रत्येक मनोनित सदस्य को पुर्नमनोनयन की पात्रता होगी।

11. प्रबंध समिति :– सामान्य परिषद के अतिरिक्त समिति के कार्यकलापों का समुचित प्रबंधन, प्रबंध समिति द्वारा किया जायेगा। प्रबंध समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

1. सामान्य परिषद का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा।
2. संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिले का कलेक्टर तथा अन्य महाविद्यालयों मे आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा मनोनित शिक्षाविद उपाध्यक्ष होगे।
3. लोक निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय का प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक जो मनोनित किये जायेंगे,विश्वविद्यालय द्वारा मनोनित सदस्य, जो प्राध्यापक स्तर से कम का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा एक सदस्य, सामान्य परिषद का अशासकीय संगठन सदस्य, दानदाताओं एवं स्थानीय औद्योगिक संस्थानों का प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
4. महाविद्यालय के प्राचार्य समिति के सदस्य सचिव होंगे।

मनोनित सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिये होगा तथा इन व्यक्तियों को एक और कार्यकाल में पुर्नमनोनयन की पात्रता होगी।

12. प्रबंध समिति के कार्य :– प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

(क) संस्था के उपनियमों के अनुसार शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी वृंद में अनुशासन लागू करना और बनाये रखना,किन्तु संस्था में कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये राज्य शासन के नियम ही लागू रहेगे।

Khiroj
KHIROJ SINGH THUTHIAMBA AARA JASHPUR
SITA RAM
JASHPUR
गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

(ख) महाविद्यालय के वित्तिय प्रबंध का नियंत्रण एवं निरिक्षण करना तथा व्यय के विनियमन हेतु उपनियमों का अनुमोदन करना।

(ग) प्राचार्य को ऐसे वित्तीय अधिकार प्रदान करना, जो समिति संस्था की निधियों के संदर्भ में उपयुक्त समझें

(घ) स्वशासी महाविद्यालयों के मामले मे अकादमिक परिषद तथा वित्त समिति एवं अन्य महाविद्यालयों के मामले मे वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद महाविद्यालय के छात्रों द्वारा देय शुल्क एवं अन्य भुगतानों की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।

(ड़) संस्थान की छात्रवृत्तियों,अध्येतावृत्तियों,अध्ययनवृत्तियों,पदको, पारितोषको एवं प्रमाण पत्रों को संस्थित करने की सामान्य परिषद को अनुशंसा करना।

(च) दान तथा विन्यास को स्वीकार करना।

(छ) सामान्य परिषद के कार्य संपादन में सहायक होना।

(ज) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्यो का संपादन करना।

प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

13. वित्त समिति :—वित्त समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :—

(1) प्राचार्य— अध्यक्ष

(2) बैंकिग/वित्तीय कार्य में अनुभवी एक व्यक्ति जिसे प्रबंध समिति द्वारा दो वर्ष के लिये मनोनित किया जायेगा—सदस्य।

(3) पारिक्रम से दो वर्ष के लिये प्राचार्य द्वारा मनोनित महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक—सदस्य।

(4) महाविद्यालय जिस जिले में स्थित है उसका कोषालय अधिकारी या उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति जो उपकोषालय अधिकारी के पद से नीचे का न हो—सदस्य।

14. वित्त समिति के कार्य :— समिति के सभी वित्तीय प्रबंधन से संबंधित प्रकरणो मे वित्त समिति सहायक होगी और विशेषतः निम्नलिखित कार्यो में यथा—

1. प्रबंध समिति के अनुमोदनार्थ समिति के निधि के व्यय हेतु उपनियमो का प्रारूप बनाना।
2. वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन (वार्षिक बजट बनाना)
3. यह सुनिश्चित करना कि वार्षिक बजट आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व सक्षम अधिकारी/निकाय द्वारा विचरित तथा अनुमोदित ळें
4. वित्तिय वर्ष के दौरान व्यय पर नियंत्रण रखना एवं यदि आवश्यक हो तो बजट मे संशोधन अनुशंसित करना।
5. लेखा बही खातो तथा तत संबंधित खातो का आपेक्षित और समुचित रख—रखाव कराना।
6. वार्षिक लेखा जोखा तैयार कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित कराना एवं उसे अंकेक्षको को अग्रेषित करना।

Khiroj
KHIROJ SINGH
THUTHIAMBA
AARA JASHPOR

SITA RAM
AARA
JASHPUR

श्रवण कुमार सिंह
सालेकेरा (मोरडीह)

गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

7. अंकेक्षित प्रतिवेदनो पर विचार कर टिप्पणियां अंकित एवं प्रबंध समिति से अनुमोदित कराना।
8. सामान्य परिषद के विचारार्थ अंकेक्षको का पैनल प्रस्तावित करना।
9. ऐसे सभी प्रस्तावो का परीक्षण व अनुशंसन जो पद रचना,पूंजी एवं अन्य व्यय से संबंधित हो।

15. निधि :—निम्नलिखित संस्था के निधि के भाग होंगे :—

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त समस्त राशियां।

(ख) समिति द्वारा वसूल की जाने वाली समस्त शुल्क एवं अन्य राशियां।

(ग) व्यक्तियों अथवा संस्थानो से अनुदान,उपहार,दान,सहायता राशि एवं वसीयत के रूप मेंप्राप्त सभी राशियां एवं अन्य सभी प्राप्तियां। संस्था की निधि भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 (क्र.02 सन् 1934) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक मे रखी जायेगी तथा इसका व्यय सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित बजट तथा प्रबंध समिति द्वारा इस हेतु वित्त समिति की अनुशंसा पर बनाये गये उपनियमों मे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय के अधोसंरचना विकास के लिये किया जायेगा।

विविध :— 1. राज्य शासन से महाविद्यालय को प्राप्त सभी प्राप्तियां उनमे से व्यय,लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमो से शासित होंगे। संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद के द्वारा नियुक्त चार्टड अंकेक्षको द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा। महाविद्यालय का राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी।

2. समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा। सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर आकदमिक गतिविधियों के लिये नहीं किया जायेगा। इसके लिये नियम बनाये जायेगे।

3. समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृध्दि की जा सकेगी तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृध्दि के अन्य उपाय भी कर सकेगी। ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

4. समिति अपने कार्य के लिये कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी। महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि मे से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी।

5. समिति द्वारा राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई नया पद निर्मित नहीं किया जायेगा और न ही समिति अपने कार्य के लिये पृथक से कोई स्टाफ नियुक्त करेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य और अन्य शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियां राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ मे से वर्तमान नियमों के अनुसार होगी। भविष्य में यह अधिकार उन समितियों को दिये जायेगे जिनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय होगी, परन्तु शासन के अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

Khiroj
KHIROJ SINGH
THUTHIAMBA
AARA JASHPUR

SITA RAM
AARA
JASHPUR

श्रवण कुमार सिंह
साहेबटोली (भोपाडीह)

गोविंद प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
नायक नित्यानन्द साय शासकीय महाविद्यालय

6. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति का जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता हो।

7. समिति की ओर से एवं समिति के लिये किये गये सभी अनुबंध समिति के सचिव द्वारा समिति के नाम पर क्रियान्वित किये जायेंगे। समिति द्वारा अथवा समिति के विरूध्द सभी वाद या प्रतिवाद समिति के सचिव के नाम पर होंगे।

Khiraj
THUTHIAMBA
AARA JASHPUR

SITA RAM
AARA
JASHPUR

श्रवण कुमार सिंह
साल्हेकेरा (मोराडीह)

गोविन्द प्रसाद शुक्ला
आरा

PRINCIPAL
Nayak Nityanand Sai
Govt. College, AARA
Dist.- Jashpur (C.G.)